संख्या: 26/2015/2259/26-2-2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव,
   बेसिक शिक्षा,
   उ0प्र0 शासन
2. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश
3. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 30 सितंबर, 2015

विषय: **समाजवादी पेंशन योजना के शिक्षा से संबंधित शर्तों की कम्प्यूटरीकृत अनुश्रवण व्यवस्था के संबंध में**

महोदय,

आप अवगत हैं कि समाजवादी पेंशन योजना में लाभान्वित किये गये परिवारों के 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का विद्यालय में अनिवार्य नामांकन, कक्षा में कम-से-कम 70 प्रतिशत उपस्थिति तथा निरक्षर सदस्यों को साक्षर बनाने की शर्तें रखी गयी हैं। शिक्षा से संबंधित उपरोक्त शर्तों की कम्प्यूटरीकृत अनुश्रवण व्यवस्था लागू की गयी है और इस संबंध में शासन के पत्र संख्या-23/2015/2194/26-2-2015, दिनांक 14 सितंबर, 2015 के माध्यम से निर्देश निर्गत किये गये हैं। एन0आई0सी0 के द्वारा विकसित **उपस्थिति मॉडयूल, नामांकन मॉडयूल** तथा **साक्षरता मॉडयूल** के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत निर्देश निम्नवत् हैं:-

I. उपस्थिति मॉडयूल

समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों की विद्यालय में प्रतिदिन उपस्थिति/अनुपस्थिति का कम्प्यूटरीकृत अनुश्रवण किये जाने की व्यवस्था एन0आई0सी0 के द्वारा विकसित **"उपस्थिति मॉडयूल"** के माध्यम से किया जाना है। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निम्नवत् है:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मास्टर डाटा

1. सर्वप्रथम बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् समस्त छात्रों का कक्षावार एवं अनुक्रमांक अनुसार नाम सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जाना है ताकि "उपस्थिति मॉडयूल" के मास्टर डाटा में इन्हें सम्मिलित किया जा सके।
2. इसी प्रकार विद्यालयों में तैनात प्रधान अध्यापक एवं समस्त अध्यापकों का विवरण उनके मोबाईल नंबर सहित भी अनिवार्य रूप से ऑनलाईन फीड किया जाना है ताकि "उपस्थिति मॉडयूल" के मास्टर डाटा में इन्हें सम्मिलित किया जा सके।
3. जनपदों द्वारा अपलोड की गयी डाटा प्रत्येक बेसिक शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी के लॉगिन आई0डी0 पर विद्यालय वार व कक्षावार प्रदर्शित की जायेगी, जिसका सत्यापन अनिवार्य रूप से संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/बेसिक शिक्षा अधिकारी को अपने डिजिटल सिग्नेचर से करना होगा। डिजिटल सिग्नेचर से प्रमाणित किये गये डाटा को ही मास्टर डाटा में अंतिम रूप से सम्मिलित किया जायेगा।
4. यह सुनिश्चित किया जाय कि समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का उपरोक्त डाटा अनिवार्य रूप से सॉफटवेयर पर अपलोड तथा संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है। यदि किसी जनपद में यह कार्य **दिनांक 30 सितंबर, 2015 तक** पूर्ण नहीं होता है तो वहां उत्तरदायित्व निर्धारित कर संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाय और जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि उनके जनपद के समस्त विद्यालयों का डाटा "उपस्थिति मॉडयूल" के मास्टर डाटा में सम्मिलित हो चुका है।

उपस्थिति का अनुश्रवण

5. प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 01 घंटे के अंदर विद्यालय में कक्षावार अनुपस्थित छात्रों का अनुक्रमांक एस0एम0एस0 के माध्यम से एन0आई0सी0 के पोर्टल पर उस विद्यालय के अध्यापकों के रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर से भेजने की कार्यवाही की जायेगी। एस0एम0एस0 भेजने हेतु एन0आई0सी0 के द्वारा तैयार की गयी ऑपरेशनल गाईडलाइन्स संलग्न है।
6. यदि 01 घंटे के पश्चात् परंतु 02 घंटे के अंदर अनुपस्थित छात्रों का विवरण एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रेषित किया जाता है, तो उक्त सूचना को "उपस्थिति मॉडयूल" में स्वीकार कर लिया जायेगा परंतु उक्त विद्यालय को **"डिफाल्टर सूची"** में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. डिफाल्टर सूची में विद्यालय के सम्मिलित होने पर निम्न कार्यवाही की जायेगी:-
    - सर्वप्रथम ऐसे विद्यालयों में तैनात प्रधान अध्यापक/सहायक अध्यापक को चेतावनी निर्गत की जायेगी
8. यदि चेतावनी निर्गत करने के उपरांत भी कोई विद्यालय पुनः डिफाल्टर सूची में सम्मिलित पाया जाता है तो प्रत्येक ऐसे दिवस, जिसमें उक्त विद्यालय डिफाल्टर सूची में सम्मिलित रहा है, के संबंध में निम्न कार्यवाही की जायेगी:-
    - प्रत्येक डिफाल्टर दिवस हेतु विद्यालय में तैनात प्रधान अध्यापक के वेतन से रू0 100/-. व अन्य सभी सहायक अध्यापकों के वेतन से रू0 50/-. की कटौती की जायेगी
9. डिफाल्टर विद्यालय के अध्यापकों को कम्प्यूटरीकृत एस0एम0एस0 के माध्यम से उनके विद्यालय के उक्त दिवस को डिफाल्टर सूची में सम्मिलित होने की जानकारी उसी दिन दी जायेगी।
10. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को उनके क्षेत्र में डिफाल्टर विद्यालयों का नाम एस0एम0एस0 के माध्यम से संसूचित किया जायेगा।
11. बेसिक शिक्षा अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी को डिफाल्टर विद्यालयों की संख्या संसूचित की जायेगी।
12. चूकि उपस्थिति मॉडयूल के माध्यम से उपस्थिति के अनुश्रवण की नयी व्यवस्था अक्टूबर, 2015 से प्रारंभ की जा रही है, अतएव यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर, 2015 में विद्यालयों को डिफाल्टर सूची में रहने पर केवल चेतावनी निर्गत की जायेगी।
13. यदि जनवरी, 2016 से कोई विद्यालय डिफाल्टर सूची में सम्मिलित रहता है, तो प्रस्तर-8 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सभी संबंधित के वेतन से धनराशि की कटौती की जायेगी।
14. यदि विद्यालय प्रारंभ होने के 02 घंटे के उपरांत अनुपस्थित छात्रों का विवरण एस0एम0एस0 के माध्यम से प्राप्त होता है तो यह माना जायेगा कि -
    - उक्त विद्यालय में उक्त दिवस में कोई अध्यापन का कार्य नहीं हुआ है
    - सभी अध्यापक व छात्र अनुपस्थित हैं

उपरोक्त के क्रम में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा की जायेगी, जिसमें उक्त दिवस के प्रधान अध्यापक/सहायक अध्यापक के 01 दिन के वेतन/मानदेय की कटौती, उक्त दिवस के मध्याह्न भोजन की भुगतान राशि पर रोक आदि सम्मिलित होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15. यदि कोई विद्यालय माह में 05 दिवस से अधिक डिफाल्टर सूची में पाया जाता है, तो संबंधित प्रधान अध्यापक की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए "कारण बताओ नोटिस" निर्गत की जायेगी और तदुपरांत उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है।

एस0एम0एस0 पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति

16. वर्ष 2015-16 में अक्टूबर माह से मार्च माह तक अध्यापकों द्वारा प्रेषित किये जाने वाले एस0एम0एस0 पर होने वाले अनुमानित व्यय का वहन समाजवादी पेंशन योजना के प्रशासनिक मद से समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जायेगा। निदेशक, बेसिक शिक्षा इस संबंध में अनुमानित व्ययभार की सूचना निदेशक, समाज कल्याण को अक्टूबर माह में उपलब्ध करायेंगे। तदुपरांत आवश्यक धनराशि नवंबर माह में सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद के बैंक खाते में अंतरित कर दी जायेगी। सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सभी जनपदों को प्रेषित किये गये एस0एम0एस0 के आधार पर धनराशि उपलब्ध करायेंगे। सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद नियमानुसार उपभोग प्रमाण-पत्र निदेशक, समाज कल्याण को ससमय उपलब्ध करायेंगे।

17. वर्ष 2016-17 से एस0एम0एस0 पर होने वाले व्यय का वहन बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अपने बजट से किया जायेगा।

छात्र व अध्यापकों की उपस्थिति का भौतिक सत्यापन

18. प्रत्येक शैक्षिक दिवस में विद्यालय प्रारंभ होने के 02 घंटे के पश्चात् उपस्थिति मॉडयूल में प्रत्येक विद्यालय की कक्षावार व तिथिवार छात्रों की उपस्थिति/अनुपस्थिति की सूचना **उपस्थिति पंजिका** के रूप में वेबसाईट पर उपलब्ध हो जायेगी।

19. जिस रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर से अनुपस्थित छात्रों का विवरण एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा, उन अध्यापकों का नाम भी उपस्थिति पंजिका में प्रदर्शित होगा।

20. संबंधित **खण्ड शिक्षा अधिकारी** प्रत्येक शैक्षिक दिवस में कम-से-कम 02 विद्यालयों का रैंडम आधार पर स्थलीय निरीक्षण कर वेबसाईट पर उपलब्ध उपस्थिति पंजिका के प्रिंटआउट तथा विद्यालय में उपस्थित छात्रों/अध्यापकों का सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट **उसी दिन अपराह्न 6.00 बजे तक** उपस्थिति मॉडयूल में अंकित करेंगे।

21. जिलाधिकारी अन्य जनपद स्तरीय अधिकारियों यथा-उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खण्ड शिक्षा अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी आदि के माध्यम से प्रत्येक विकास खण्ड में प्रत्येक सप्ताह कम-से-कम 02 शैक्षिक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

दिवसों में न्यूनतम 05 विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण कराना सुनिश्चित करेंगे। **सभी निरीक्षणकर्ता अधिकारी वेबसाईट पर उपलब्ध उपस्थिति पंजिका के प्रिंटआउट तथा विद्यालय में उपस्थित छात्रों/अध्यापकों का सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट उसी दिन अपराह्न 5.00 बजे तक संबंधित उपजिलाधिकारी/विकास खण्ड अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त निरीक्षण आख्या को उपस्थिति मॉडयूल में यथासंभव उसी दिन अथवा विलंबतम अगले दिन अपराह्न 5.00 बजे तक अपलोड कर अपने डिजिटल सिग्नेचर से सत्यापित करेंगे।**

22. यदि स्थलीय निरीक्षण में विद्यालयों में उपस्थित छात्र तथा वेबसाईट पर उपलब्ध उपस्थिति पंजिका में अंतर पाया जाता है अथवा एस0एम0एस0 भेजने वाले अध्यापक विद्यालय में अनुपस्थित पाये जाते हैं, तो यह मानते हुए कि अध्यापकों द्वारा मनगढंत उपस्थिति/अनुपस्थिति की सूचना एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रेषित की गयी है, निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-
    - उक्त विद्यालय को गंभीर डिफाल्टर मानते हुए वहां तैनात प्रधान अध्यापक तथा सहायक अध्यापक के 01 दिन के वेतन की कटौती की जायेगी
    - यदि किसी विद्यालय में इसकी पुनरावृत्ति पायी जाती है तो संबंधित प्रधान अध्यापक के विरूद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी
    - यदि किसी विद्यालय में एक शैक्षिक सत्र के दौरान उपरोक्त अनियमितता 02 से अधिक बार पायी जाती है, तो समस्त अध्यापकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी और उन्हें वृहद् दण्ड भी दिया जा सकता है
23. यदि कोई छात्र लगातार 03 दिवस से अधिक अनुपस्थित रहता है, तो विद्यालय के सहायक अध्यापक उसके अभिभावक से स्वयं संपर्क कर छात्र के अनुपस्थित रहने का कारण ज्ञात करेंगे तथा उसे विद्यालय के एक पंजिका में दर्ज करेंगे।
24. यदि कोई छात्र लगातार 07 दिवस अथवा माह में 07 दिवस से अधिक विद्यालय से अनुपस्थित रहता है, तो प्रधान अध्यापक उसके अभिभावक को संसूचित करेंगे तथा विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों के माध्यम से भी उक्त अभिभावक को समझाने का प्रयास करेंगे। ऐसे छात्रों के अभिभावकों से खण्ड शिक्षा अधिकारी व बेसिक शिक्षा अधिकारी भी संपर्क स्थापित करेंगे।
25. यदि कोई छात्र किसी अन्य विद्यालय में नामांकित पाया जाता है, तो नियमानुसार उक्त छात्र का नामांकन परिषदीय विद्यालय से समाप्त कर दिया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जायेगा, परंतु अन्य छात्रों के क्रमांक में उस शैक्षिक सत्र के दौरान कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

26. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी उपस्थिति मॉड्यूल में जनपद से संबंधित रिपोर्ट का नियमित अनुश्रवण करेंगे तथा आवश्यकतानुसार बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करेंगे।

27. **जनपद स्तर पर विद्यालयों में नामांकित छात्रों का कम-से-कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अगले 03 माह में सुनिश्चित कराने हेतु सभी आवश्यक प्रयास किये जायेंगे।**

पुरस्कार योजना

28. प्रत्येक शैक्षिक सत्र में फरवरी माह तक प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ 03 मण्डलों व जनपदों को चिन्हित् कर वहां के मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक जनपद के सर्वश्रेष्ठ 03 प्राथमिक विद्यालय तथा 03 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों/शिक्षा मित्रों को भी सम्मानित किया जायेगा।

29. पुरस्कार हेतु निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति होनी आवश्यक होगी:-

- मण्डल व जनपद में सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की औसत उपस्थिति कम-से-कम 70 प्रतिशत होनी चाहिए।
- प्राथमिक विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या कम-से-कम 100 होनी चाहिए। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित छात्रों की संख्या कम-से-कम 75 होनी चाहिए।
- पुरस्कार हेतु वही विद्यालय अर्ह होंगे, जहॉ अध्यापकों की उपस्थिति भी कम-से-कम 90 प्रतिशत होगी।
- पुरस्कार हेतु वही विद्यालय अर्ह होंगे, जो कभी डिफाल्टर सूची में नहीं रहते हैं
- पुरस्कार हेतु वही विद्यालय अर्ह होंगे, जहॉ वेबसाईट पर प्रदर्शित उपस्थिति पंजिका व विद्यालय में निरीक्षण के दौरान उपस्थित छात्रों की संख्या में कभी कोई भिन्नता नहीं पायी जाती है
- पुरस्कार हेतु वही खण्ड शिक्षा अधिकारी अर्ह होंगे, जिनके क्षेत्र में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की औसत उपस्थिति 70 प्रतिशत या अधिक रहती है और डिफाल्टर सूची में विद्यालयों की संख्या 5 प्रतिशत से कम रहती है

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

30. शैक्षिक सत्र 2015-16 में नवंबर, 2015 से मार्च, 2016 तक की सूचना के आधार पर पुरस्कार हेतु मण्डल, जनपद, विद्यालय एवं अधिकारियों का चयन किया जायेगा। वर्ष 2016-17 से पूर्ण शैक्षिक सत्र (अप्रैल से मार्च तक) की सूचना को आधार मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।

31. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय को देय पुरस्कार राशि का व्यय विद्यालय में क्रीड़ा सुविधा, पुस्तकालय हेतु पुस्तकों के क्रय, Teaching aids आदि मद में प्रधान अध्यापक विद्यालय प्रबंध समिति (School Management Committee) की सहमति से कर सकेंगे।

32. पुरस्कृत मण्डलों, जनपदों, अध्यापकों व विद्यालयों को देय पुरस्कार राशि निम्नवत् होगी:-

	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
मण्डलायुक्त	रू0 51,000/-	रू0 41,000/-	रू0 31,000/-
जिलाधिकारी	रू0 51,000/	रू0 41,000/-	रू0 31,000/-
मुख्य विकास अधिकारी	रू0 51,000/-	रू0 41,000/-	रू0 31,000/-
बेसिक शिक्षा अधिकारी	रू0 51,000/-	रू0 41,000/-	रू0 31,000/-
पुरस्कृत जनपद के खण्ड शिक्षा अधिकारी	रू0 21,000/-	रू0 15,000/-	रू0 11,000/-
प्राथमिक विद्यालय	रू0 1,01,000/-	रू0 75,000/-	रू0 51,000/-
उच्च प्राथमिक विद्यालय	रू0 1,01,000/-	रू0 75,000/-	रू0 51,000/-
पुरस्कृत प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक, समस्त सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र	रू0 21,000/-	रू0 15,000/-	रू0 11,000/-
पुरस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक, समस्त सहायक अध्यापक एवं अनुदेशक	रू0 21,000/-	रू0 15,000/-	रू0 11,000/-

33. उक्त पुरस्कार राशि समाज कल्याण विभाग द्वारा समाजवादी पेंशन योजना के प्रशासनिक मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

34. पिछले वित्तीय वर्ष से संबंधित पुरस्कार वितरण का कार्य अगले वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास में पूर्ण कर लिया जायेगा।

II. <u>नामांकन मॉड्यूल</u>

35. समाजवादी पेंशन योजना के बेसलाईन सर्वेक्षण के प्रपत्र-क में प्रदेश में लगभग 21 हजार 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे स्कूल के बाहर पाये गये हैं। इन बच्चों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

का विद्यालय में नामांकन तथा कक्षा की जानकारी **"नामांकन मॉडयूल"** में दर्ज की जानी है।

36. जिन बच्चों की उम्र 07 वर्ष से अधिक है, उन्हें उनकी आयु के अनुसार विशेष प्रशिक्षण देकर उपयुक्त कक्षा में नामांकन कराया जाना है। आउट ऑफ स्कूल बच्चों की शिक्षा हेतु **सर्व शिक्षा अभियान** के अंतर्गत विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित है, जिनमें ऐसे बच्चों का नामांकन कराकर विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। अतएव इन चिन्हित् बच्चों को कब से विशेष प्रशिक्षण किस विशेष प्रशिक्षक (Special Educator) द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, का विवरण "नामांकन मॉडयूल" में ऑनलाईन दर्ज करने की कार्यवाही दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 तक करने के निर्देश दिये गये हैं।

37. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/बेसिक शिक्षा अधिकारी **"नामांकन मॉडयूल"** में दर्ज की गयी सूचना का अपने डिजिटल सिग्नेचर से सत्यापन करेंगे।

38. विशेष प्रशिक्षक (Special Educator) के अक्टूबर, 2015 माह के वेतन/मानदेय का भुगतान "नामांकन मॉडयूल" के संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/बेसिक शिक्षा अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से सत्यापन करने के उपरांत ही किया जायेगा।

39. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्कूल से बाहर पाये गये सभी बच्चों का नामांकन विद्यालय में किया जा चुका है तथा **"नामांकन मॉडयूल"** में अद्यावधिक सूचना दर्ज की जा चुकी है।

III. **साक्षरता मॉडयूल**

40. समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों में 15 से अधिक आयु वर्ग के निरक्षर व्यक्तियों की पहचान की जा चुकी है।

41. ऐसे **सभी चिन्हित् निरक्षर व्यक्तियों को विशेष अभियान चलाकर अगले एक वर्ष के दौरान साक्षर बनाये जाने** के निर्देश शासनादेश दिनांक 14 सितंबर, 2015 द्वारा दिये गये हैं।

42. साक्षरता परीक्षा प्रतिवर्ष मार्च एवं अगस्त माह में आयोजित की जाती है। यह सुनिश्चित किया जाय कि समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों के सभी निरक्षर व्यक्ति अनिवार्य रूप से वर्ष 2016 के मार्च एवं अगस्त माह में आयोजित होने वाली साक्षरता परीक्षा में सम्मिलित हों तथा परीक्षा उत्तीर्ण भी करें।

43. सभी चिन्हित निरक्षर व्यक्तियों को किस साक्षरता केन्द्र में नामांकित कराया गया है, किस माह में आयोजित होने वाली साक्षरता परीक्षा में वह सम्मिलित हुए हैं तथा उनके उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण होने की जानकारी **"साक्षरता मॉडयूल"** में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

44.इस सूचना को संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने डिजिटल सिग्नेचर से सत्यापित करेंगे।

पुरस्कार योजना

45.प्रत्येक वित्तीय वर्ष में समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों के निरक्षर सदस्यों को साक्षर बनाने की दिशा में कार्य करने वाले सर्वश्रेष्ठ 03 मण्डलों व जनपदों के मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया जायेगा। प्रत्येक जनपद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले तीन-तीन साक्षरता केन्द्र के प्रेरकों/संस्थाओं को सम्मानित किया जायेगा।

46.पुरस्कृत मण्डलों, जनपदों, प्रेरकों व संस्थाओं को देय सम्मान राशि निम्नवत् होगी:-

	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
मण्डलायुक्त	रू0 51,000/-	रू0 41,000/-	रू0 31,000/-
जिलाधिकारी	रू0 51,000/	रू0 41,000/-	रू0 31,000/-
मुख्य विकास अधिकारी	रू0 51,000/-	रू0 41,000/-	रू0 31,000/-
जनपद के साक्षरता मिशन के प्रभारी अधिकारी	रू0 51,000/-	रू0 41,000/-	रू0 31,000/-
पुरस्कृत जनपद के समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं समन्वयक	रू0 21,000/-	रू0 15,000/	रू0 11,000/-
प्रेरक, साक्षरता केन्द्र (ग्रामीण)	रू0 21,000/-	रू0 15,000/-	रू0 11,000/-
प्रेरक/संस्था (शहरी क्षेत्र)	रू0 21,000/-	रू0 15,000/-	रू0 11,000/-

47.उक्त पुरस्कार राशि समाज कल्याण विभाग द्वारा समाजवादी पेंशन योजना के प्रशासनिक मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

48.पिछले वित्तीय वर्ष से संबंधित पुरस्कार वितरण का कार्य अगले वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास में पूर्ण कर लिया जायेगा।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों से स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार परिषदीय विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति को अगले 03 माह के दौरान कम-से-कम 75 प्रतिशत तक बढ़ाने हेतु कृत संकल्प है। छात्रों एवं अध्यापकों की नियमित उपस्थिति होने पर ही छात्रों के learning outcome में अपेक्षित सुधार संभव हो सकेगा। इसी प्रकार आउट ऑफ स्कूल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराना तथा निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाना भी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित परिवार के सदस्यों के माध्यम से शिक्षा के उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाय क्योंकि कम्प्यूटरीकृत अनुश्रवण व्यवस्था से संबंधित मॉड्यूलों का उद्घाटन मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा नवंबर, 2015 में किये जाने की संभावना है।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव

संख्या व तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ
2. निदेशक, साक्षरता, उ0प्र0, लखनऊ
3. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ
4. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0, लखनऊ
5. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, उ0प्र0, लखनऊ
7. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, उ0प्र0, लखनऊ
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश
9. समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश
10. विभागीय पुस्तिका

आज्ञा से,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक

उपस्थिति माड्यूल के अन्तर्गत एस0एम0एस0 द्वारा छात्रों की उपस्थिति भेजने हेतु तकनीकी दिशा-निर्देश

1. उपस्थिति भेजने हेतु परिषदीय विद्यालयों के अध्यापक अपने मोबाइल से प्रत्येक कार्यदिवस में कक्षा में अनुपस्थित छात्रों का रोल नम्बर एस0एम0एस0 के माध्यम से मोबाइल नम्बर **9935901889** पर भेजेगें।

2. एस0एम0एस0 भेजने का प्रारूप निम्नवत् है:-

SATSUP[space]C[class][space][List of roll numbers of absent students separated by comma]

उदाहरणार्थ:-

यदि कक्षा-1 के अनुपस्थित छात्रों का ब्यौरा भेजना हो तो

SATSUP C1 01,04,23

यदि कक्षा-5 के अनुपस्थित छात्रों का ब्यौरा भेजना हो तो

SATSUP C5 04,09,15

यदि एक ही एस0एम0एस0 से एक से अधिक कक्षाओं के अनुपस्थित छात्रों का ब्यौरा भेजना हो तो

SATSUP C5 03,08,15 C4 05,06,11 C3 01,06,22 C2 05,10,25

नोट -

- कृपया एस0एम0एस0 भेजने से पहले उपरोक्त प्रारूप में दिये गये निर्देशों जैसे स्पेस,कॉमा इत्यादि का भलीभाँति अवलोकन कर लें ताकि एस0एम0एस0 सही प्रारूप में ही प्रेषित हो।
- साथ ही साथ समस्त अग्रेजी के एल्फाबेट कैपिटल में ही होना चाहिए।

3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0) के कार्यालय में बेसिक शिक्षा अधिकारी, सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के कतिपय चयनित सहायक अध्यापक पूर्व निर्धारित तिथि व समय पर एकत्रित होकर उपस्थिति मॉडयूल हेतु भेजे जाने वाले एस0एम0एस0 के सही प्रारूप को समझ लें और सुनिश्चित कर लें कि उक्त प्रेषित की गयी एस0एम0एस0 सर्वर पर रिसीव हो रही है अथवा नहीं। तदुपरांत यही अधिकारी अपने क्षेत्र के समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को भी इस संबंध में आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।